290

संख्या–653/xxxii(1)/01(दो)–115/निर्माण/प्लान/2014–15

प्रेषक,

विनय शंकर पाण्डेय,
अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 22 जुलाई, 2014

विषयः– सचिवालय परिसर स्थित उत्तरी भवन में अपर सचिव, सचिवालय प्रशासन व अन्य अपर सचिव हेतु टॉयलेट का निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता, 9 वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग देहरादून के पत्रांकः–1704/2सी0बी0–9/14 दिनांक 19–04–2014 के माध्यम से उपलब्ध कराये आगणन के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सचिवालय परिसर स्थित उत्तरी भवन में अपर सचिव, सचिवालय प्रशासन व अन्य अपर सचिव हेतु टॉयलेट का निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹ 3.04 लाख के आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त द्वारा सम्यक परीक्षणोपरान्त संस्तुत **₹ 2.98 लाख (₹ दो लाख, अठानब्बे हजार** मात्र) की धनराशि के आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि के सापेक्ष **शासनादेश संख्या–606/xxxii(1)/01(एक)–01/बजट–मुख्य/2014–15 दिनांक 16 अप्रैल 2014 एवं अलोटमेंट** आई डी–**H1404070122 दिनांक 10 अप्रैल 2014 द्वारा आपके निर्वतन** पर रखी गई धनराशि में सें **इतनी ही** धनराशि **₹ 2.98 लाख (₹ दो लाख, अठानब्बे हजार** मात्र) को व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. **प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण** विभाग **प्रस्तर–1** में स्वीकृत धनराशि **₹ 2.98 लाख (₹ दो लाख, अठानब्बे हजार** मात्र) का **निम्न शर्तो** के अधीन नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करेगें।

1– निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रारम्भ कर पूर्ण करा लिया जायेगा।

2– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर अथवा जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

3– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी,बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। कार्य की अनुमन्यता निर्धारित मानकों के अनुसार है, यह भी कृपया सुनिश्चित किया जाय।

5– कार्यदायी संस्था द्वारा **मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग** से उक्त कार्य का **संतोषजनक/संतुष्टिपरक/गुणवत्ता पूर्वक** कार्य पूर्ण किये जाने का **प्रमाण पत्र** उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6– **प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण** विभाग द्वारा कार्य समय से पूर्ण एवं गुणवत्ता हेतु समय–समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8– यदि **कार्यो/कार्यो हेतु धनराशि** की **पुनरावृत्ति की गई होगी तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।**

9– आवासीय/अनावासीय भवनों में **अनुरक्षण/मरम्मत/निर्माण कार्यो हेतु एक रजिस्टर बनाया जाय जिसमें किये गये कार्यो को अंकित** किया जाय।

10– उक्त कार्य हेतु **उच्च अधिकारियों द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया** जाय।

11– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

12– उक्त कार्य एवं कार्य से संबंधित सामग्रियों का क्रय एवं भुगतान के संबंध में **उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2008** में प्राविधानित नियमों एवं दिशा निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों द्वारा अवश्य करा लें। निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकता एवं प्राप्त निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जायें।

15– आगणन जिन मदों हेतु राशि स्वीकृत की गई है व्यय उन्हीं मदों पर किया जाए, एक मद की राशि दूसरे मदों पर कदापि व्यय नही की जाय।

16– आयकर की कटौती संबंधित अनुरक्षण इकाई द्वारा अपने स्तर से करायी जायेगी।

17– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/xxxii(1)/2008 दि0 15–12–2008 के अनुसार एम0ओ0यू0 कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

18– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे तथा आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा एवं कार्य समय से पूर्ण करा लिया जायेगा।

3. **वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन** द्वारा, धनराशि **₹ 2.98 लाख (₹ दो लाख, अठानब्बे हजार** मात्र) को **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग** देहरादून के भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा–देहरादून के **खाता संख्या–डी0सी0एल0 01 G** 03099751–42, 10901749521, **आई.एफ.एस.सी. कोड संख्या–SBIN** 0000630, में नियमानुसार जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। पैन/टैन न0–MRTSO 1692 F है।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष–2014–15 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय–**आयोजनागत** –02 शहरी आवास–800–अन्य भवन–**03–राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण**–24–वृहत निर्माण के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 30 **P**/XXVII(5)/2014–15, दिनांक 18 जुलाई 2014 में प्राप्त निर्देशों के कम में निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

22/07/14

(विनय शंकर पाण्डेय)
अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी।

संख्या-653(1)/xxxii(1)/01(दो)–115/निर्माण/प्लान/2014–15 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून ।
2– वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला।
3– प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग देहरादून।
4– अधीक्षण अभियन्ता, 9वॉ एवं 11 वॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग देहरादून।
5– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून।
6– मुख्य व्यवस्थाधिकारी सीनियर ग्रेड,राज्य सम्पत्ति विभाग देहरादून को इस निर्देश के साथ कि एन.आई.सी. में अपलोड करायें।
7– मुख्य व्यवस्थाधिकारी,राज्य सम्पत्ति विभाग देहरादून।
8– वित्त अनुभाग–5/नियोजन विभाग/बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन।
9– सचिवालय प्रशासन लेखा अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
10– निदेशक एन.आई.सी. सचिवालय परिसर।
11– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव।